

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु:

1. कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन 20 मार्च 2026 (प्रातः 10 बजे) से 2 अप्रैल 2026 तक करना जरूरी है। कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक: <https://admission.kvs.gov.in>
2. जो अभिभावक सरकारी सेवा में हैं उनके बच्चों को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाती है। फॉर्म भरते समय सेवा श्रेणी (सर्विस कैटगरी) सावधानी पूर्वक भरें। पिछले सात वर्ष में आपके जितने ट्रांसफर हो चुके हैं, उनकी सही जानकारी दें।
3. प्राथमिकता के आधार पर एडमिशन श्रेणियां निम्न प्रकार हैं -
 - I. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए (ARMY, RAILWAY, POST OFFICE, INCOME TAX etc.)
 - II. केन्द्र सरकार के स्वायत्त निकाय (Nationalized Bank, BSNL, Krishi Vigyan Kendra, LIC, Tapti Mill etc.)
 - III. राज्य सरकार के कर्मचारी (Teacher, M.P. Police, Hospital, Forest, Any Other state Govt. Employee)
 - IV. राज्य सरकार के स्वायत्त निकाय (Nagar Nigam, MPEB, Co-Operative Sugar Mill, Co-Operative Bank- राज्य शासन के बैंक इत्यादि)
 - V. जो किसी भी सरकारी सेवा में नहीं हैं (Labour, Business, Farmer, संविदाकर्मी, सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रायवेट सर्विस)

उक्त श्रेणियों के साथ कास्ट कैटगरी भी मायने रखती है। एडमिशन के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है। इसके लिए बच्चे के नाम का जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। बच्चे के नाम से जाति प्रमाण-पत्र नहीं बना हो तो माता-पिता के जाति-प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किया जा सकता है लेकिन प्रवेश के समय बच्चे के नाम का प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।

4. आयु - कक्षा 1 में बच्चे की उम्र 31 मार्च 2026 तक 6 साल से कम न हो और 8 साल से ज्यादा नहीं हो।

नोट - आवेदन करते समय समस्त जानकारी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सही-सही भरें! प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार होंगे-

1. बच्चे के पासपोर्ट साइज फोटो
2. जन्म-प्रमाण पत्र
3. पालक का सेवा प्रमाण-पत्र
4. निवास प्रमाण
5. जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
6. आय प्रमाण-पत्र/वेतन पर्ची
7. आधार कार्ड
8. ब्लड-ग्रुप
9. विकलांगता प्रमाण-पत्र (निःशक्त जन के लिए)
10. बीपीएल/EWS प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)